ग्रेटर नोएडा औघोगिक विकास प्राधिकरण
169,चितवन एस्टेट, सेक्टर–गामा, ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतम बुद्ध नगर फोन: 91-120-2326134,फैक्स: 91-120-2326140
Website: www.Greaternoidaauthority.in Email:Authority@gnida.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 की धारा–4(5) के अनुसार किसी भी बिल्डर/विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण से भवन का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना आवंटिओं को कब्जा हस्तानांतरित नही किया जा सकता। ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली–2010 (यथा संशोधित) के प्रस्तर–20.1.1 के अनुसार बिना अध्यासन प्रमाण पत्र प्राप्त किये किसी फ्लैट का अधिभोग करने की अनुमति नही है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आवंटित ग्रुपहाउसिंग भूखण्डों के बिल्डर/विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण से नियमानुसार कार्यपूर्ति/अध्यासन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही विकासकर्ता एवं आवंटियों के मध्य कब्जा हस्तानान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जाये एवं बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये विकासकर्ता आवंटियों को कब्जा हस्तान्तरित न करें, अन्यथा उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 एवं भवन विनयमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बिल्डर्स योजना के आवंटियों को भी निर्देशित किया जाता है कि किसी बिल्डर/विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण से बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये यदि भवन का कब्जा हस्तान्तरण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा अपने आवंटियों को कहा जाता है तो उसकी सूचना अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पी), अथवा महाप्रबन्धक(नियोजन/वास्तुकला) ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए प्राधिकरण कार्यालय सी0आर0 सेल में अथवा Email:Authority@gnida.in /aceop@gnida.in के माध्यम से प्राप्त करा सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा जिन ग्रुपहाउसिंग भूखण्डों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये उनकी सूची प्राधिकरण की बैबसाइट www.Greaternoidaauthority.in पर अपलोड कर दी गयी है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रे0 नो0 औ0 वि0 प्राधिकरण